न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 62/16 तारीख रजू– 04/05/2016

कमलेश पुत्र [illegible] जाति मीना निवासी कडी झोपडी तहसील गंगापुरसिटी। --अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,तलावडा। ——— रेस्पो0

निर्णय दिनांक–16/06/2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,तलावडा द्वारा मिसल संख्या 781/15 मे पारित आदेश दिनांक 28/09/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कडी झोपडी की आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 0.21 हैक्टर किस्म [illegible] संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश सम्बंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है जिसमे अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नही है ना ही अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी से पूर्व निर्णय की पालना मे भौतिक रूप से कब बेदखल किया गया है इसका कोई उल्लेख है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलार्थी को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा का जो दण्ड दिया है व निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को बिना सुने व मोके की स्थिति का निरीक्षण किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थी का अतिचारित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु धारा 91(3) का नोटिस नियत दिनांक 28/09/15 का जारी किया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान नही किया गया है मिथ्या है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का की

रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर सिविल कारावास की सजा का दण्ड पारित किया है। सिविल कारावास की कठोर सजा का दण्ड पारित करने से पूर्व, पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उक्त निर्णय की पालना मे बेदखली की रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पत्रावली मे शामिल होना आवश्यक है जिससे अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके जिसका इस प्रकरण मे अभाव पाया जाता है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को न्यायोचित नही कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, क्षतिपूर्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16/6/2016

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर